Judicial Magistrate First Class Cohad distt. Bhind (M.H.)

पुनश्चः

उभयपक्ष पूर्ववत।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी एवं आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धार 320-2 द०प्र०स० एवं राजीनामा आवेदन फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी पक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डे तथा अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी की ओर से अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब लोभ—लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं। राजीनामा के संबंध में फरियादी के कथन अंकित किया गया।

अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा २९४, ३२३ विकल्प में ३२३ / ३४ तथा ५ ५०६ भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध अभियोग पत्र पेश किया है जो कि शमनीय

73—Forms—24-6-16—3,00,000 Forms.

Mark South

120 ×

Aing !

Signature of Parties or Pleaders where neecssary

है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये सबने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 विकल्प में 323/34 तथा 506 भाग दो भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है की जाती है। जाती है।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नेष्ट की जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में

Judicial Magistrate First Class
Tobhad distt. Bhind (M.P.)